(572)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक....21...../ रीवा, दिनांक 10/02/2023
दो–15–3/90

श्री ललित कुमार मईड़ा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा का पत्र दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से यह अवगत कराया कि व्यवहार वाद कमांक 143ए/1989 श्रीमती लोलरिया वि0 विश्वनाथ वगै0 मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर में द्वितीय अपील कमांक 972/1997 में घोषित निर्णय दिनांक 13.10.2022 के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि:– As such this second appeal is disposed off and the matter is remanded back to the concerned trial court with the direction to decide the present/instant civil Suit no 143A/1989 along with already pending other Civil suit no 418A/2011 filed by vishwanath, certainly with a view to avoid passing of conficting judgement and decree.

व्यवहारवाद कमांक 418ए/2011 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के न्यायालय में लंबित है तथा उपरोक्त प्रकरण के प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0 से रिमाण्ड पर प्राप्त प्रकरण व्यवहारवाद कमांक 143ए/1989 श्रीमती लोलरिया वि0 विश्वनाथ वगै0 को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के न्यायालय में अंतरित किए जाने का निवेदन किया गया है। उक्त न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद कमांक 143ए/1989 श्रीमती लोलरिया वि0 विश्वनाथ वगै0 को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः श्री ललित कुमार मईड़ा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के पत्र दिनांक 08.02.2023 को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहार वाद कमांक 143ए/1989 श्रीमती लोलरिया वि0 विश्वनाथ वगै0 को तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

(डी0एन0 मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0..623.../ रीवा, दिनांक 16/02/2023
दो–15–3/90

प्रतिलिपि:–

1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर की ओर मूल व्यवहार वाद कमांक 143ए/1989 का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। उक्त प्रकरण की प्राप्ति/अभि–स्वीकृति इस कार्यालय की ओर प्रेषित करें।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)